न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

बइजलास – अभिलाषा, आर.ए.एस.

मुकदमा नं. 16/2021

प्रार्थी :–

1. भवरलाल पुत्र लोडूराम
   जाति–जाट निवासी जायल तहसील जायल जिला–नागौर (राज.)

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. रामचन्द्र पुत्र सालगराम
2. खिंयाराम पुत्र चुनाराम
3. गणेशराम पुत्र चुनाराम
4. मेहराम पुत्र चुनाराम
5. राधा पत्नी चुनाराम जाति जाट निवासीगण जायल तहसील जायल
6. उगमाराम पुत्र पूर्णाराम जाति मालि निवासीगण जायल तहसील जायल
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1. **अधिवक्ता श्री हनुमानराम मण्डा प्रार्थी की ओर से।**
2. **अधिवक्ता श्री शिवप्रकाश सिंवर अप्रार्थीगण 1 की ओर से।**
3. **अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बैन्दा एवं गोविन्दराम ढाका अप्रार्थी संख्या 6 कि आरे से**
4. **अप्रार्थी संख्या 2 से 5 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।**

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

– : : आदेश : : –

प्रार्थना पत्र का संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का खेत खसरा नम्बर 2258 रकबा 2.9380 हैक्टेयर मौजा जायल में आया हुआ हैं प्रार्थी के खेत के उतरी तरफ खसरा नम्बर 2265 अप्रार्थी 1 रामचन्द्र का एवं उसके चिपते हि उत्तरी तरफ अप्रार्थी संख्या 2 से 5 के खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 2264 आया हुआ है तथा दक्षिणी

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

..फ खसरा नम्बर 2261 जो अप्रार्थी संख्या 6 का खेत आया हुआ है। इस खेत के पश्चिमि तरफ खसरा नम्बर 2262 गैर मुमकिन अंगौर आई हुई है तथा अंगौर के बाद पश्चिमि तरफ आम सड़क जायल से छाजोली जाने वाली आई हुई है। प्रार्थी जायल से छाजोली जाने वाली संड़क से गैर मुमकिन अंगोर खसरा नम्बर 2262 से होता हुआ खसरा नम्बर 221 के उत्तरी सींव के पास पास होता हुआ खसरा नम्बर 2264 की दक्षिणी सींव के पास पास होता हुआ खसरा नम्बर 2265 की पूर्वी सीवं के पास पास होता हुआ अपने खेत में प्रवेश करता है जो नजरी नक्शा में मार्क ए बी व सी से रास्ता दर्शाया गया है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थी के अन्य कोई नजदीक रास्ता प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु नहीं है। प्रार्थी को संलग्न नजरी नक्शानुसार मार्क अ–ब सी से दर्शित अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 2265, 2264 व 2261 में से 15 फुट चौड़ाई चाहा गया हैं। प्रार्थी रास्ते कि भूमि कि एवेज में सरकार द्वारा निर्धारित राशि अदा करने को तैयार है अथवा भूमि मे से माफिक नजरी नक्शानुसार रास्ता घोषित फरमावे व इसी माफिक रास्ता राजस्व रिकोर्ड में तरमीम हेतु तहसीलदार जायल के नाम आदेश जारी फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री शिवप्रकाश सिंवर ने वकालातनामा तथा इकबाली जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जो शामिल मिशल है। अप्रार्थी संख्या 6 कि ओर से अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका एवं रामप्रकाश बैन्दा ने जवाब मय आपत्तियों के पेश किया जो सामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 से 5 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही कि गई। तहसीलदार जायल को हस्तगस्त प्रकरण में मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई, जिसकी पालना में मौका रिपोर्ट जरिये पत्रांक 502 दिनांक 08.02. 2024 को प्राप्त की गई। तहसीलदार जायल ने मौका रिपोर्ट में अवगत कराया कि प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थी इस रास्ते से आना जाना करता है जो मौके पर चालू है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता सबंसे नजदीक रास्ता नहीं है। खसरा नम्बर 2260 की दक्षीणी तथा खसरा नम्बर 2259/2809 की दक्षीणी पूर्वी सींव से रास्ता घोषित किये जाने पर सबसे नजदीक रास्ता होगा। किन्तु मौके पर कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी द्वारा वाछित रास्ते कि भूमि पर किसी भी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नहीं है। प्रार्थी द्वारा बिन्दु संख्या ए से बी, सी से डी तथा इ से एफ तक 15 फिट चौड़े रास्ते कि मांग कि गई है। खसरा नम्ब 2265 में रास्ते कि भूमि कि लम्बाई 118 वर्गमीटर से 540 वर्गमीटर आती है। जिसंकी दर 93215 प्रति बिघा के दोगुने से 62192 रूपये बनते है। खसरा नम्बर 2264 में बिन्दु संख्या सी से डी तक रास्ते की लम्बाई 195 मीटर होने से निर्धारित दरन के दोगुना से राशि 887 गुणा 2 गुणा 57.58 बराबर राशि 102147 रूपये बनती है। खसरा संख्या 2261 में से बिन्दु संख्त्रया ए से बी तक रास्ते कि लम्बाई 42 मीटर होने से क्षेत्रफल 192 वगैमीटर बनता है जिसकी कुल राशि 22120 रूपये बनती है। देय है। उक्त रास्ता सरकारी भूमि खसरा नम्बर 2262 तक वाछित है तथा सरकारी भूमि खसरा नम्बर 2262 जो कि जायल छाजोली सड़क से

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

चिपता होने से वाछित रास्ते तक मौके पर चालू है। खसरा नम्बर 2262 सरकारी भूमि है जिसकी किस्म प्रतिबंधित श्रेणी गै.मु. अंगोर है। अंगोर में से होते हुए खसरा नम्बर 2261, 2264, 2265 होते हुए 2258 में रास्ता पहुचता है।

वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र के संबंध में इकबाली जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। वकील अप्रार्थी संख्या 6 ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं समस्त पैराज मिथ्या, मनगढ़त, गलत होने से अस्वीकार करते हुये बताया कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 2258 में आने जाने के लिए प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी संख्या 6 के खेत में से होकर कभी भी आवागमन नहीं रहा है ना ही मौके पर अप्रार्थी संख्या 6 के खेत में से होकर आने जाने के आलामात नहीं है। प्रार्थी के खेत के सबसे नजदीक रास्ता डामर सड़क के चिपते खसरा नम्बर 2260, 2259 से होकर नजदीक रास्ता लगता है। जिसका मौका रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 2 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। प्रार्थी के खेत का सबसे नजदीक रास्ता खसरा नम्बर 2260, 2259 में से होता हुआ है जो खेताय प्रार्थी के परिवार के ही खेताय है इसी में से प्रार्थी आता जाता रहा है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 2258 के वैकल्पि रास्ता मौजुद है। प्रार्थी द्वारा मुझ अप्रार्थी संख्या 6 को तंग परेशान करने व मेरी जमीन हड़पने की नियत से गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है अनवान प्रकरण में खसरा नम्बर 2262 जो कि प्रतिबंधित भूमि गैर मुमकिन अंगोर है जिससे भी रास्ता दिया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कहीं पर भी रास्ता बंद करने का कथन नहीं किया है। अप्रार्थी संख्या 6 के खसरा नम्बर 2261 के पश्चिमी तरफ सरकारी जमीन आई हुई है जिसमें से रास्ता नहीं है तथा प्रार्थी के खेत के सबसे नजदीक रास्ता मौका रिपोर्ट में बताये खसरा नम्बर 2260, 2259 का प्रार्थन पत्र में कहीं उल्लेख नहीं किया है जिसंसे भी स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 2260, 2259 के खातेदारों द्वारा दुर्भिसंधि करने के बाद उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। खसरा नम्बर 2260, 2259 के खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है। पक्षकार के अभाव में भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज योग्य होने से हर्जा खर्चा सहित खारिज फरमावे। वकुलाय की सहमति पर प्रकरण में बहस हेतु तारीख नियत की गई।

नियत तारीख पेशी पर बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित पैराज का पुनः दोहरान करते हुये अवगत कराया कि प्रार्थी का खेत खसरा नम्बर 2258 रकबा 2.9380 हैक्टेयर मौजा जायल में आया हुआ हैं प्रार्थी के खेत के उतरी तरफ खसरा नम्बर 2265 अप्रार्थी 1 रामचन्द्र का एवं उसके चिपते हि उत्तरी तरफ अप्रार्थी संख्या 2 से 5 के खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 2264 आया हुआ है तथा दक्षिणी तरफ खसरा नम्बर 2261 जो अप्रार्थी संख्या 6 का खेत आया हुआ है। इस खेत के पश्चिमि तरफ खसरा नम्बर 2262 गैर मुमकिन अंगौर आई हुई है तथा अंगौर के बाद पश्चिमि तरफ आम सड़क जायल से छाजोली जाने वाली आई हुई है। प्रार्थी जायल से छाजोली जाने वाली संड़क से गैर मुमकिन अंगोर खसरा नम्बर 2262 से होता हुआ खसरा नम्बर 221 के उत्तरी सींव के पास पास होता हुआ खसरा नम्बर

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

2264 की दक्षिणी सींव के पास पास होता हुआ खसरा नम्बर 2265 की पूर्वी सीवं के पास पास होता हुआ अपने खेत में प्रवेश करता है जो नजरी नक्शा में मार्क ए बी व सी से रास्ता दर्शाया गया है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थी के अन्य कोई नजदीक रास्ता प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु नहीं है। प्रार्थी उक्त प्रास्तावित रास्ते से ही आता जाता रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 को प्रस्तावित रास्ता स्वीकार है केवल मात्र अप्रार्थी संख्या 6 अवरोध कर रहा है एवं रास्ते के अभाव में खेत में बुआई संभंव नहीं है। प्रार्थना पत्र के अनुसार नजरी नक्शा में मार्क ए बी व सी तक रास्ता उपलब्ध कराया जावे जिसके एवज में नियमानुसार अप्रार्थीगण को मुआवजा राशि का भुगतान प्रार्थी वहन करने के लिए तैयार है। प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जायल को अमल दरामद हेतु तहरीर जारी फरमावे।

वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस दलीलें पेश करते हुये हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्यों/पैराज का खण्डन करते हुये प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य मनगढ़त तथा गलत होने से अस्वीकार करते हुये प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन किया। वकिल अप्रार्थी संख्या 6 ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 2258 में आने जाने के लिए प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी संख्या 6 के खेत में से होकर कभी भी आवागमन नहीं रहा है ना ही मौके पर अप्रार्थी संख्या 6 के खेत में से होकर आने जाने के आलामात नहीं है। प्रार्थी के खेत के सबसे नजदीक रास्ता डामर सड़क के चिपते खसरा नम्बर 2260, 2259 से होकर नजदीक रास्ता लगता है। जिसका मौका रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 2 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। प्रार्थी के खेत का सबसे नजदीक रास्ता खसरा नम्बर 2260, 2259 में से होता हुआ है जो खेताय प्रार्थी के परिवार के ही खेताय है इसी में से प्रार्थी आता जाता रहा है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 2258 के वैकल्पि रास्ता मौजुद है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 प्रार्थी के परिवार के लोग है एवं तहसीलदार रिपोर्ट में प्रार्थी के सबसे नजदीक रास्ता दूसरा बताया गया है। खसरा नम्बर 2262 सरकारी भूमि है। जो प्रतिबंधित श्रेणी कि गै.मु. अंगोर भूमि है जिसमें से रास्ता नहीं दिया जा सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 251क काबिले खारिज होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र हर्जा खर्चा सहित खारिज किया जावे।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् राजस्व रिकॉर्ड, मौका रिपोर्ट तहसीलदार जायल का अवलोकन किया गया। साथ ही वकुलाय द्वारा प्रार्थी एवं अप्रार्थी पक्ष की पैरवी करते हुये दी गई दलीलों एवं बहस पर गहनतापूर्वक मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 08.02.20324 का अवलोकन किया। मौका रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 2 में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता सबंसे नजदीक रास्ता नहीं है, खसरा नम्बर 2260 की दक्षिणी तथा खसरा नम्बर 2259/2809 की दक्षिणी पूर्वी सींव से रास्ता घोषित किये जाने पर सबसे नजदीक रास्ता होगा परन्तु मौके पर कोई रास्ता नहीं है, एवं खसरा नम्बर 2262 सरकारी भूमि है जिसकी किस्म

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

फर्द अहकाम
(नियम–26)

...संबंधित श्रेणी गै.मु. अंगोर है, अंगोर में से होते हुए खसरा नम्बर 2261, 2264, 2265 से होते हुए 2258 में रास्ता पहुचंता है। तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता सबसे नजदीक रास्ता नहीं है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क के अनुसार खातेदार कृषक को निकटतम दूरी के कटाणी रास्ते से वैकल्पिक रास्ता का अभाव सिद्ध होने की स्थिति में आत्यान्तिक आवश्यकता सिद्ध होने पर ही रास्ता स्वीकृत अथवा घोषित किये का प्रावधान है। प्रकरण में वर्णित तथ्यों, अप्रार्थी के जवाब/आपत्ति एवं मौका रिपोर्ट के अवलोकन से पृथम दृष्टयां ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र हाजा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क की मंशा को धुमिल करने की नियत प्रस्तुत किया जाना एवं स्वच्छ हाथों (Clean han) से नहीं आना प्रदर्शित करता है। अतः हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझते है।

– : : आदेश : : –

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नं. 2258 रकबा 2.9380 हैक्टेयर मौजा जायल तहसील–जायल में कृषि कार्य हेतु आवागमन व आवश्यक संसाधन लाने व ले जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 का खेत खसरा नम्बर 2265 अप्रार्थी संख्या 2 से 5 के खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 2264 एवं अप्रार्थी संख्या 6 के खसरा नम्बर 2261 में से माफिक नजरी नक्शा अनुसार 15 फीट चौड़ाई का रास्ता के संबंध में प्रार्थी पक्ष द्वारा धारा 251क के मुख्यतः बिन्दू प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ते का अभाव एवं कटाणी रास्ते से सबसे कम दूरी व रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता को साबित नहीं कर पाने तथा हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वच्छ हाथों से न्यायालय में पेश नहीं किये जाने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद जाप्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18/10/24 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

(अधिकारी)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner